समाहरणालय, सिवान

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

—: आदेश :—

अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 88/आ0 नि0 को0 दिनांक 25.01.2019 के आलोक में डॉ शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना का सिवान जिला में दिनांक 13.02.2019 को दिव्यांगजन के हितार्थ आयोजित चलन्त न्यायालय (मोबाईल कोर्ट) व अन्य से संबंधित कार्यक्रम निम्न प्रकार है :—

क्र0	तिथि	समय	कार्यक्रम	स्थान	नोडल पदाधिकारी
1.	10.02.19 (रविवार)	02:30 PM से।	इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि के साथ सम्वाददाता सम्मेलन/प्रेस वार्त्ता। उपस्थिति :— सिवान जिला अंतर्गत सभी इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मिडिया के प्रतिनिधि।	परिसदन, सिवान।	जिला सूचना एवं जन—सम्पर्क पदाधिकारी, सिवान।
2.	11.02.19 (सोमवार)	11:00 AM से 01:00 PM तक।	जिला पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक। (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा) उपस्थिति :— 1. जिला पदाधिकारी, सिवान। 2. उप विकास आयुक्त, सिवान। 3. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान। 4. अपर समाहर्त्ता, सिवान। 5. अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर/महाराजगंज। 6. उप पुलिस अधीक्षक, सिवान। 7. उप समाहर्त्ता, प्रभारी बैंकिग शाखा, सिवान। 8. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान। 9. श्रम अधीक्षक, सिवान। 10. जिला सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी, सिवान। 11. जिला नियोजन पदाधिकारी, सिवान। 12. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिवान जिला। 13. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल/पथ प्रमंडल, सिवान। 14. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (सर्व शिक्षा अभियान) सिवान। 15. जिला कल्याण पदाधिकारी, सिवान। 16. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान। 17. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान। 18. जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, सिवान। 19. जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान। 20. जिला अभियंता, जिला परिषद, सिवान। 21. जिला जन—सम्पर्क पदाधिकारी, सिवान। 22. जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान। 23. जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी, सिवान। 24. जिला खेल—कूद पदाधिकारी, सिवान। 25. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/अनु0 लो0 शि0 निवा0 पदा0, सिवान। 26. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान। 27. जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण, सिवान। 28. निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिवान।	सभा कक्ष, सिवान।	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, सिवान।

			29. कारा अधीक्षक, सिवान। 30. जिला उप निर्वाचन, पदाधिकारी, सिवान। 31. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिवान। 32. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिवान। 33. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, सिवान। 34. प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक, सिवान। 35. जिला प्रबंधक, जिविका। 36. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, सिवान।		
3	11.02.19 (सोमवार)	01:00 PM से 02:00 PM तक।	पुलिस अधीक्षक / अपर पुलिस अधीक्षक / उप पुलिस अधीक्षक एवं जिले के सभी थाना प्रभारी के साथ बैठक।	सभा कक्ष, सिवान।	इस बैठक के आयोजन हेतु पुलिस अधीक्षक, सिवान अपने स्तर से नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। साथ ही सभी संबंधित को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करेंगे।
4.	11.02.19 (सोमवार)	02:00 PM से 03:00 PM तक।	विश्वविद्यालय / कॉलेज / प्रमुख शिक्षण संस्थान के कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक। उपस्थिति :- 1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान। 2. प्रधानाचार्य, सिवान जिला स्थित सभी महाविद्यालय 3. प्रधानाचार्य, पोलिटेकनिक कॉलेज, 4. सभी आई० टी० आई० कॉलेज के प्राचार्य।	सभा कक्ष, सिवान।	जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान।
5.	11.02.19 (सोमवार)	03:00 PM से 4:00 PM तक।	लीड बैंक के साथ स्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधि के साथ बैठक। उपस्थिति :- 1. जिला बैंकिंग उप समाहर्त्ता, सिवान। 2. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सिवान। 3. सिवान जिला अंतर्गत सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक।	सभा कक्ष, सिवान।	बैंकिंग उप समाहर्त्ता, सिवान।
6.	11.02.19 (सोमवार)	04:00 PM से 05: PM तक।	रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं मॉल का निरीक्षण। उपस्थिति :- 1. स्टेशन अधीक्षक / उपाधीक्षक, सिवान, महाराजगंज, चैनवा, दरौंदा, पचरूखी, जीरादेई, मैरवा। 2. जिला उद्योग पदाधिकारी, सिवान। उपरोक्त पदाधिकारी सभा कक्ष से आयुक्त महोदय के साथ उनका भ्रमण कार्यक्रम समाप्त होने तक भ्रमणशील रहेंगे।	---	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान।
7.	12.02.19 (मंगलवार)	09:00 AM से 11:00 AM तक।	सदर अस्पताल, सिवान का निरीक्षण।	सदर अस्पताल, सिवान।	अरौनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान।
8.	12.02.19 (मंगलवार)	11:00 AM से 02:00 PM तक।	जनप्रतिनिधियों / पंचायत प्रतिनिधि / बोर्ड प्रतिनिधि / सिविल सोसाईटी / समाजसेवी के साथ बैठक। उपस्थिति :-	परिसदन, सिवान।	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिवान।

			1. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान। 2. नगर परिषद, सिवान अंतर्गत सभी वार्षद। 3. सभी प्रखंडों के प्रमुख। 4. सचिव, रेड क्रॉस सोसाईटी, सिवान। 5. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि।		कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान संयुक्त रुप से।
9.	12.02.19 (मंगलवार)	02:00 PM से 03:00 PM तक।	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला तथा प्रखंड स्तर के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी तथा प्राईवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक (एडभोकेसी बैठक) उपस्थिति :– 1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान। 2. सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, (शिक्षा), सिवान जिला। 3. सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सिवान जिला। 4. सभी प्राईवेट विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य।	परिसदन, सिवान।	जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान।
10.	12.02.19 (मंगलवार)	03:00 PM से 04:00 PM तक।	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान एवं प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सकों के साथ बैठक।	परिसदन, सिवान।	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान।
			जिला आई० सी० डी० एस० के प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी सी० डी० पी० ओ० एवं महिला सुपरभाईजर के साथ बैठक।	परिसदन, सिवान।	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई० सी० डी० एस०), सिवान।
11.	12.02.19 (मंगलवार)	04:00 PM से 05:00 PM तक।	स्वयंसेवी रेड क्रॉस, समावेशी शिक्षकों एवं बुनियाद केन्द्र के कर्मचारियों के साथ बैठक। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी० एल० भी० के भोलेनटीयरस के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक।		सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान।
12.	13.02.19 (बुधवार)	10:00 AM से 07:00 PM तक (अंतिम निष्पादन तक)	दिव्यांजनों के परिवादों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय। (लोक अदालत)		---

राज्य आयुक्त, निःशक्तता के उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निम्न प्रकार से निदेश दिये जाते है :–

1. जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, सिवान दिनांक 10.02.2019 को परिसदन, सिवान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेन्स हेतु जिलान्तर्गत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया के प्रतिनिधि को भाग लेने हेतु अनुरोध–पत्र अपने स्तर से निर्गत करेंगे तथा अपनी उपस्थिति में नोडल पदाधिकारी के रुप में प्रेस कान्फ्रेन्स सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. दिनांक 11.02.2019 को 11:00 बजे से 01:00 बजे तक सभा कक्ष, सिवान में आयोजित समीक्षात्मक बैठक हेतु सभी संबंधित पदाधिकारी उनसे संबंधित प्रतिवेदन (अपर आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना का पत्रांक 88/आ० नि० को० दिनांक 25.01.2019 की छाया प्रति संलग्न) के अनुरुप वांछित प्रतिवेदन तैयार कर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान को दिनांक 06.02.2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ बैठक में भी भाग लेंगे।
3. दिनांक 11.02.2019 को 01:00 बजे से 02:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु पुलिस अधीक्षक, सिवान अपने स्तर नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे तथा सभी पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिवान सदर एवं महाराजगंज, सभी थानों के थाना प्रभारी को अपने स्तर से बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित करेंगे।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान दिनांक 11.02.2019 को 02:00 बजे से 03:00 बजे तक आयोजित बैठक में नोडल पदाधिकारी के रुप में सूचारु रुप से बैठक सम्पन्न करायेंगें।

5. जिला बैंकिग उप समाहर्त्ता, सिवान दिनांक 11.02.2019 को 03:00 बजे से 04:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सिवान के साथ समन्वय स्थापित कर सभी बैंको के शाखा प्रबंधक की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु बैठक में भाग लेने के लिए उन्हें अलग से पत्र भी निर्गत किया जाय।
6. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान दिनांक 11.02.2019 को 04:00 बजे से 05:00 बजे तक उनके निरीक्षण के दौरान उनके वाहन के साथ भ्रमणशील रहेंगे। उनसे निदेश प्राप्त कर उनके निरीक्षण में आवश्यक सहयोग देंगे।
7. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान निर्धारित तिथि को ससमय सदर अस्पताल, सिवान के निरीक्षण हेतु आवश्यक तैयारी पूर्व से पूर्ण कर लेंगे। साथ ही निरीक्षण में अपने स्तर से आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
8. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिवान दिनांक 12.02.2019 को 11:00 बजे से 02:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु अपने स्तर से सभी प्रखंड प्रमुख को सूचना उपलब्ध करायेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान अपने स्तर से सभी वार्ड पार्षद, सिवान जिला को बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध–पत्र निर्गत करेंगें।
9. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान दिनांक 12.02.2019 को 02:00 बजे से 03:00 बजे तक आयोजित बैठक को नोडल पदाधिकारी के रुप में सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान दिनांक 12.02.2019 को 03:00 बजे से 04:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु अपने स्तर से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिवान जिला को भाग लेने हेतु निदेश देंगे। साथ ही नोडल पदाधिकारी के रुप में बैठक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
11. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सिवान दिनांक 12.02.2019 को 03:00 बजे से 04:00 बजे तक आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी ऑगनवाडी पर्यवेक्षिका को अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति भी सुनिश्चित करेंगे।
12. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र स्वयं अपने सभी कर्मियों के साथ दिनांक 12.02.2019 को 04:00 से 05:00 बजे तक निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहेंगे।
13. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान से अनुरोध है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0 एल0 भी0 के भोलेनटीयरस को आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु निदेश देंगे।

उपरोक्त के अलावे जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निम्न प्रकार से कर्त्तव्य निर्धारित किये जाते है :–

1. **नजारत उप समाहर्त्ता, सिवान** :– (क) भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित अवधि में जिला अतिथि गृह, सिवान में उनके आवासन एवं भोजनादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।

   (ख) राज्य आयुक्त निःशक्तता दिनांक 10.02.2019 से 13.02.2019 तक जिला अतिथि गृह, सिवान में रहेंगे। अतः 24 घंटे उनके साथ एक कार्यालय परिचारी की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः नजारत उप समाहर्त्ता के द्वारा तीन शिफटों में कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति 10.02.2019 से 13.02.2019 तक के लिए की जायेगी।

2. **स्थापना उप समाहर्त्ता, सिवान :–**

   (क) इसके अलावे जिला अतिथि गृह, सिवान में दिनांक 10.02.2019 से 13.02.2019 तक एक लिपिक, एक कार्यपालक सहायक एवं एक कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति कार्यालय अवधि में की जायेगी, जिनके द्वारा राज्य आयुक्त निःशक्तता के निदेशानुसार प्रतिवेदन आदि का संग्रहण किया जायेगा।

   (ख) दिनांक 13.02.2019 को चलंत न्यायालय में एक वरीय लिपिक, कम्प्यूटर एवं प्रिंटर सहित कुल 06 कार्यपालक सहायक (डिक्टेशन प्राप्त करने एवं आदेश निर्गत करने हेतु) एवं तीन कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। जिनके द्वारा चलंत न्यायालय का कार्य में सहयोग किया जायेगा।

   राज्य आयुक्त निःशक्तता के लाईजेनिंग पदाधिकारी के रुप में ......श्रीमती अनीषा सिंह...... .... को राज्य आयुक्त, बिहार के सिवान जिला आगमन से उनके प्रस्थान करने तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

   अनुलग्नक : – अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 88/आ0 नि0 को0 दिनांक 25.01.2019 की छाया प्रति संलग्न।

3. **प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, सिवान** को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि चलन्त न्यायालय में विधि–व्यवस्था हेतु संयुक्त आदेश निर्गत करने की व्यवस्था की जाय।

   नोट :– सिवान जिलान्तर्गत सभी कार्यालयों के कार्यालय प्रधान चलन्त न्यायालय की तिथि को ससमय चलन्त न्यायालय में उपस्थित रहेंगे एवं प्राप्त होने वाले शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

D:\New folder\ANIL KUMAR\New SSC/Chalant Nyayaly Lok Adalat 29.01.2019

4. **पुलिस अधीक्षक, सिवान** द्वारा उक्त तिथि को राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार के लिए स्कॉट, अंगरक्षक एवं होम सुरक्षा के साथ–साथ दिनांक 13.02.2019 को चलन्त न्यायालय के स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुरुष एवं महिला बल की व्यवस्था की जाय।

जिला पदाधिकारी,
सिवान।

ज्ञापांक –......02 ५०........../सा0सु0को0, दिनांक – ..30-01-2019

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिवान जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सिवान जिला अन्तर्गत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया के पत्रकारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयं सेवी संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर एवं महाराजगंज/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान/श्रम अधीक्षक, सिवान/जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सिवान/जिला नियोजन पदाधिकारी, सिवान /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल/पथ प्रमंडल, सिवान/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, सिवान/जिला कल्याण पदाधिकारी, सिवान/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, सिवान/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिवान/जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान/जिला अभियंता, जिला परिषद, सिवान/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सिवान/जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान/जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी, सिवान/जिला खेल कूद पदाधिकारी, सिवान/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिवान/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान/जिला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, सिवान/निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिवान/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सिवान/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान/कारा अधीक्षक, सिवान/उप निर्वाचन पदाधिकारी, सिवान/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिवान सदर एवं महाराजगंज/प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक, सिवान/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिवान/जिला प्रबंधक, जिविका, सिवान/जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, सिवान को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित निदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 88/आ0 नि0 को0 दिनांक 25.01.2019 की छाया प्रति संलग्न का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– नजारत उप समाहर्त्ता, सिवान एवं स्थापना उप समाहर्त्ता, सिवान को निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान से समन्वय करेंगे।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, सिवान/उप विकास आयुक्त, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0 एल0 भी0 के भोलेनटीयरस के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक के लिए समुचित कार्रवाई अपने स्तर से करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– सचिव, रेड क्रॉस सोसाईटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त सारण प्रमंडल, सारण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, दिव्यांगता सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर राज्य आयुक्त, निःशक्तता को उनके पत्रांक 88/आ0नि0को0, दिनांक 25.01.2019 के अलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30-01-19

जिला पदाधिकारी,
सिवान।

D:\New folder\ANIL KUMAR\New SSC/Chalant Nyayaly Lok Adalat 29.01.2019